जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 03-02-2021**

600 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा एक अभियुक्ता नाम पता श्रीमती गीता पत्नी कन्हैया निवासिनी महुली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 600 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 46/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, का0 शैलेन्द्र उपाध्याय, म0का0 बेबी सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्तपाल – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत जब्बार से इवेन्ट संख्या 04858 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद के दौरान मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से सीएचसी मेहदावल मे भर्ती कराया गया तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेहदावल को भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0 आ0 अशोक प्रसाद, आ0 रामनरेश यादव, हो0चा0 प्रदीप कुमार पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 55500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 55500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।